

सामान्य एवं विकलांग विद्यार्थियों के शैक्षिक समायोजन एवं सृजनात्मकता का तुलनात्मक अध्ययन

Dr. Jai Prakash Balai

Principal, Siddhi Vinayak T.T. College, Jaipur, Rajasthan, India

सार

स्कूल की देहरी छू चुके विकलांग विद्यार्थियों की चुनौतियां कुछ कम नहीं होतीं। पहली चुनौती होती है रोज स्कूल तक पहुंचना और छुट्टी के बाद स्कूल से वापस घर आना। जो दूरी सामान्य बच्चे पंद्रह मिनट में चल कर तय कर लेते हैं वह दूरी विकलांगता के कारण उनके लिए आधे-पौने घंटे का द्रविड़ प्राणायाम होती है और रोजाना दिन में दो बार उन्हें इस कठिन चुनौती से जूझना पड़ता है। स्कूल का परिवेश भी कोई उत्साहवर्धक नहीं होता। इतने सारे बच्चों के बीच वह स्वयं को सबसे जुदा पाकर संकुचित होने लगता है। ऐसे में अध्यापक या कोई अन्य यदि स्नेह, सहयोग और समझदारी से काम ले, विकलांग बालक को और उसकी विकलांगता से जुड़ी परिस्थितियों को समझें तो ही कुछ सकारात्मक संभव है पर समाज में व्याप्त संवेदनहीनता के कारण अक्सर ऐसा हो नहीं पाता। स्कूल में साथियों का व्यवहार, उपेक्षा, असहयोग और अध्यापकों की उदासीनता उनके मनोबल को बहुत तोड़ती हैं। ऐसे माहौल में विकलांग बच्चा स्वयं को अवांछित महसूस करता है।

समकालीन समावेशी कक्षाओं में, पिछली पीढ़ियों की तुलना में, शिक्षकों को अधिक दबाव का सामना करना पड़ता है क्योंकि उनकी भूमिकाएँ विविध हो जाती हैं (एवरमिडिस, बेलिस, और बर्डन, 2000; क्लेटन, 1996; फोर्लिन, 1997; लॉन, 1995; मैकिन्नॉन और गॉर्डन, 1999; पैटरसन और ग्राहम), 2000; श्लॉस, 1992)। इन चुनौतियों के प्रति शिक्षकों की प्रतिक्रियाएँ भिन्न-भिन्न हैं (वेस्टवुड और ग्राहम, 2003)। मुख्यधारा के शिक्षकों को अब आधुनिक कक्षाओं की विविधता के प्रति संवेदनशील होने और उनके सामने आने वाली सीखने की शैलियों की बहुलता के अनुसार अपनी शिक्षण शैलियों को समायोजित करके चुनौती का सामना करने में सक्षम होने के लिए कहा जाता है (पीटरसन और बेलाइन, 1992)। उन्हें समावेशी शिक्षक की गतिशील भूमिका निभाने के लिए मनोवैज्ञानिक और व्यावहारिक रूप से तैयार होने की आवश्यकता है (मुलेन, 2001),

कई मुख्यधारा के शिक्षक समावेशी शिक्षा के दर्शन को एक रोमांचक चुनौती के रूप में देखते हैं, इसके परिचय से जुड़े तनाव को जीवन-निर्वाह, आनंददायक और लाभकारी के रूप में देखा जाता है (बर्नार्ड, 1990); दूसरी ओर, यह देखा गया है कि एक समावेशी शिक्षक होने का अनुभव इतना चुनौतीपूर्ण है कि शिक्षक शारीरिक और मनोवैज्ञानिक रूप से तनावग्रस्त हो जाते हैं (क्विटिंग एंड यंग, 1996)। फ्रिट्ज़ और मिलर (1995) ने पाया कि कुछ शिक्षकों के लिए समावेशन एक असंभव बाधा थी; हालाँकि, अन्य लोगों ने इसे शिक्षा के गतिशील क्षेत्र में योगदान करते हुए व्यक्तिगत और व्यावसायिक विकास के अवसर के रूप में देखा है। ऐसा प्रतीत होता है कि विकलांग छात्रों को शामिल करने के प्रति शिक्षकों का दृष्टिकोण बहुआयामी और जटिल है।

परिचय

एनआईओएस परीक्षा में विकलांग विद्यार्थियों को सामान्य और लिपिकार की सुविधा भी अपने विकलांग अनुसार छूट प्रदान की जाती है। एक शिक्षार्थी है जो परीक्षा में रियायत का लाभ उठाने की इच्छा करने के लिए संबंधित क्षेत्रीय निदेशक या निदेशक (मूल्यांकन), एनआईओएस, 24/25, सेक्टर 62, नोएडा 201,309 के लिए एक आवेदन प्रस्तुत करने की आवश्यकता है। [1,2] (उत्तर प्रदेश) को एक सरकार के साथ चिकित्सा प्रमाण पत्र / अस्पताल के मेडिकल संस्थान उसकी प्रकृति / उसकी विकलांगता और विकलांगता की हद तक का संकेत है। जबकि परीक्षा में प्रदर्शित होने, शिक्षार्थी उत्तर पुस्तिका है, जो भी उसकी / उसके केन्द्र अधीक्षक द्वारा प्रमाणीकृत किया जाएगा के शीर्ष पर उसके / उसकी विकलांगता लिखेंगे। केन्द्र अधीक्षक व्यवस्था बनाने के पर्यवेक्षण के लिए एक अलग निरीक्षक के साथ एक अलग परीक्षा कक्ष में चार छात्रों की एक अधिकतम बैठेंगे।

1. नेत्रहीन शिक्षार्थियों लिपिकार उपयोग करने के लिए अनुमति दी जा सकती है, परीक्षा लेने Braille टाइपराइटर, या कंप्यूटर का उपयोग कर। जब छात्र Braille का उपयोग कर परीक्षा लेता है, एनआईओएस ब्लाईंड के लिए एक संगठन की सहायता की तलाश में प्रिंट में पत्र टाइप करना होगा और अन्य कागजात के साथ साथ नियमित परीक्षकों पत्र का मूल्यांकन करेंगे। छात्र है Braille, टाइपराइटर, कंप्यूटर, आदि परीक्षा प्रयोजनों के लिए, लाने की व्यवस्था करनी चाहिए।

2. बात कर कैलकुलेटर, abacus, टेलर फ्रेम और ज्यामिति ड्राइंग किट के रूप में उपकरण परीक्षा हॉल में अनुमति दी जा सकती है।
3. कौशल आधारित परियोजना व्यावहारिक के लिए एक विकल्प के रूप में अंधा शिक्षार्थियों को दी जा सकती है।
4. कंप्यूटर कौशल की आवश्यकता होती है पाठ्यक्रम के लिए, उपकरणों के लिए केंद्र द्वारा प्रदान की गई परीक्षा का आयोजन किया जाना चाहिए।

AIKYAM समाज की सामान्य और विकलांग की परिभाषा के बीच विभाजन को कम करने के लिए एक समावेशी गतिविधि है। C20 लैंगिक समानता और विकलांगता (GED) कार्य समूह के साथ एक परियोजना के रूप में, अमृता विद्यालय स्कूलों के बच्चे विकलांग लोगों के स्कूलों के बच्चों को एक साथ सीड बॉल बनाने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं। पूरे भारत में 55 अमृता विद्यालय हैं, जिनमें से 28 केरल में हैं, और यह पहल 1 मार्च - शून्य भेदभाव के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस - पर शुरू हुई। [3,4]

प्रत्येक अमृता विद्यालय के प्रिंसिपल, कुछ शिक्षकों और छात्रों के साथ, पहले अपने परिसरों में जाकर विकलांग स्कूलों के प्रिंसिपल और छात्रों को आमंत्रित करते हैं। जब अतिथि बच्चे सीड बॉल निर्माण दिवस के लिए आते हैं, तो पारंपरिक रूप से उनके माथे पर आरती के साथ तिलक लगाकर स्वागत किया जाता है और उन्हें एक ब्रोच दिया जाता है जिस पर लिखा होता है: "आप प्रकाश हैं।" यह अध्ययन एजेन के नियोजित व्यवहार के सिद्धांत द्वारा निर्देशित था, जो तर्कसंगत कार्यवाई के सिद्धांत का विस्तार था (एजेन, 1991)। यह दृष्टिकोण से उत्पन्न होने वाले व्यवहार को निर्धारित करने के लिए एक व्यापक रूप से उपयोग किया जाने वाला मॉडल है और इसका उपयोग विकलांग व्यक्तियों के प्रति दृष्टिकोण से जुड़े अनुसंधान में किया गया है (हॉज और जांस्मा, 2000; कोवाल्स्की और रिजो, 1996)। सिद्धांत से प्राप्त धारणाएं यह हैं कि व्यवहारिक इरादे के सैद्धांतिक चर, यानी, व्यवहार के प्रति दृष्टिकोण, व्यक्तिपरक मानदंड और कथित व्यवहार नियंत्रण, इरादे का अनुमान लगाने के लिए एक साथ आना चाहिए (एजेन, 1991)। मॉडल सुझाव देता है कि किसी व्यवहार के प्रति दृष्टिकोण पिछले अनुभवों, पिछले ज्ञान और नए अर्जित ज्ञान से प्रभावित हो सकता है (एजेन, 1991; एजेन और फिशबीन, 1977)। व्यवहार को निर्धारित करने में दृष्टिकोण महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं (एजेन और फिशबीन, 1977); इसलिए मुख्यधारा के शिक्षकों के दृष्टिकोण को आकार देने वाले कारकों का पता लगाना महत्वपूर्ण है क्योंकि वे विकलांग छात्रों को शामिल करने का प्रयास करते हैं। अधिक विशेष रूप से, यह अध्ययन इस आधार पर आधारित है कि विकलांग छात्रों को शामिल करने के प्रति मुख्यधारा के शिक्षकों का रवैया पिछले अनुभवों (विकलांग छात्रों को पढ़ाने का पिछला अनुभव, पिछला ज्ञान (समावेशी शिक्षा के क्षेत्र में प्रशिक्षण) और नया) से प्रभावित होता है। अर्जित ज्ञान (व्यावसायिक विकास या प्रशिक्षण मॉड्यूल)।

विचार-विमर्श

1. नेत्रहीनों या अलग विकलांग या अंधव्यवस्थात्मक शिक्षार्थियों को प्रत्येक विषय के लिए एक अतिरिक्त एक घंटा होने की सुविधा नहीं होगी।
 2. नेत्रहीनों या अलग विकलांग या अंधव्यवस्थात्मक अकेले शिक्षार्थी लिपिकार की सेवाओं को नि: शुल्क प्रदान किया जाएगा। अन्य शिक्षार्थियों को लिपिकार का शुल्क को पूरा करना होगा।
 3. गरीब हाथ समारोह पर भाषण विकारों होने के साथ शिक्षार्थियों शास्त्री सांकेतिक भाषा (विषय शिक्षक, माता - पिता या भाई बहन के अलावा अन्य) जो समझ सकते हैं होगा।
 4. शिक्षार्थियों जो कम से कम हाथ समारोह है, लेकिन भाषण विकार होने के लिए परीक्षाओं के लिए कंप्यूटर का उपयोग करने के लिए अनुमति दी जाएगी।
 5. पहिया कुर्सी बाध्य शिक्षार्थियों की सुविधा दी जाएगी भूमि तल में परीक्षा लिखने के लिए, विशेष रूप से जहाँ वहाँ कोई लिफ्ट सुविधाएं हैं।
 6. विशेष Saied AIS के तहत पंजीकृत की जरूरत के साथ शिक्षार्थियों अक्षम अनुकूल बुनियादी ढांचे और पेशेवरों, जो उन्हें जरूरत के मामले में मदद कर सकते हैं के साथ एक ही केन्द्र है। एनआईओएस द्वारा प्रतिनियुक्त invigilators परीक्षा के दौरान परीक्षा कार्यवाही की निगरानी करेंगे।
1. बहरा छात्र के लिए सवाल को समझने में मदद दुभाषिया (संकेत भाषा व्यक्ति) परीक्षा कक्ष में अनुमति दी जा सकती है।
 2. दुभाषिया के लिए भुगतान के मानदंडों है कि एक मुंशी की समान होगा।

3. एक दुभाषिया प्रत्येक परीक्षा केन्द्र के लिए पर्याप्त हो सकता है। केन्द्र अधीक्षक दुभाषिए की नियुक्ति के बारे में निर्णय ले सकता है[5,6]

सीड बॉल बनाने के लिए, अमृता विद्यालय के पांच छात्रों ने एक अतिथि छात्र के साथ मिलकर एक समूह बनाया। गोल घेरे में बैठकर, वे गेंदों को रोल करने के लिए मिट्टी, खाद, बीज, कपास या कपड़े और पानी का उपयोग करते हैं और चर्चा करते हैं कि उन्हें आसपास के क्षेत्रों में कहाँ लगाया जाएगा। यह प्रक्रिया सभी बच्चों के लिए माँ प्रकृति के साथ एक संबंध भी बनाती है। अनुभव सभी प्रतिभागियों को हर किसी को शामिल करना सिखा रहा है, चाहे उनकी क्षमताएं कुछ भी हों, और एक सामान्य उद्देश्य के लिए एक टीम के रूप में काम करें। अतिथि छात्रों को न केवल यह महसूस कराया जाता है कि उनका स्वागत है, बल्कि वे पर्यावरण को बनाए रखने में मदद करके सी20 प्रयास में भी योगदान दे रहे हैं। इस बीच, अमृता विद्यालय के छात्र करुणा, धैर्य, देखभाल और समावेशिता की भावनाओं को जागृत करना सीखते हैं। वे समझते हैं कि यह सुनिश्चित करना उनका कर्तव्य है कि सभी लोग, अपनी क्षमताओं के बावजूद, समाज के व्यापक कल्याण में योगदान करने में सक्षम हों। [25,26,27]

एक ऑस्ट्रेलियाई राज्य के रूप में, विक्टोरिया को समावेशी शिक्षा के एक मजबूत और सक्रिय समर्थक के रूप में देखा जाता है (फोर्लिन, 1997)। विक्टोरिया में समावेशी शिक्षा में महत्वपूर्ण विकास में शामिल हैं: विकलांगों के लिए शैक्षिक सेवाओं की मंत्रिस्तरीय रिपोर्ट (1984), कलन-ब्राउन रिपोर्ट (1993) और हाल ही में, विक्टोरिया में सरकारी स्कूलों के लिए ब्लूप्रिंट (2003)। इन सभी नीति दस्तावेजों में विकलांग छात्रों को नियमित स्कूल कार्यक्रमों में शामिल करने की आवश्यकता पर जोर दिया गया है। यह मुख्य रूप से इन सरकारी पहलों के कारण है कि अब 12,000 से अधिक विकलांग छात्र नियमित स्कूलों में जाते हैं, जबकि 6,000 से भी कम छात्र विशेष स्कूलों में जाते हैं (टार, 2001)। इस अध्ययन का औचित्य विक्टोरिया राज्य में अध्ययन की कमी से उत्पन्न हुआ, जो मुख्यधारा के स्कूलों में समावेशी शिक्षा के कार्यान्वयन के प्रति शिक्षकों के दृष्टिकोण की जांच करते हैं। [7,8] समान फोकस के साथ ऑस्ट्रेलियाई अध्ययन, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया (फोर्लिन, 2001), क्वींसलैंड (व्हिटिंग एंड यंग, 1995) और न्यू साउथ वेल्स (ब्रैडशॉ, 1998; वेस्टवुड और ग्राहम, 2003) सहित अन्य राज्यों और क्षेत्रों में आयोजित किए गए हैं। विक्टोरियन शिक्षकों के दृष्टिकोण पर विचार करना समझदारी होगी क्योंकि राज्य शिक्षा विभाग द्वारा हाशिए पर रहने वाले समूहों की शिक्षा को संबोधित करने के लिए कई पहल की गई हैं (शिक्षा और प्रशिक्षण विभाग विक्टोरिया, 2003बी)। 1995) और न्यू साउथ वेल्स (ब्रैडशॉ, 1998; वेस्टवुड और ग्राहम, 2003)। विक्टोरियन शिक्षकों के दृष्टिकोण पर विचार करना समझदारी होगी क्योंकि राज्य शिक्षा विभाग द्वारा हाशिए पर रहने वाले समूहों की शिक्षा को संबोधित करने के लिए कई पहल की गई हैं (शिक्षा और प्रशिक्षण विभाग विक्टोरिया, 2003बी)। 1995) और न्यू साउथ वेल्स (ब्रैडशॉ, 1998; वेस्टवुड और ग्राहम, 2003)। विक्टोरियन शिक्षकों के दृष्टिकोण पर विचार करना समझदारी होगी क्योंकि राज्य शिक्षा विभाग द्वारा हाशिए पर रहने वाले समूहों की शिक्षा को संबोधित करने के लिए कई पहल की गई हैं (शिक्षा और प्रशिक्षण विभाग विक्टोरिया, 2003बी)। [23,24]

परिणाम

1. अंधा, अलग विकलांग, अंधव्यवस्थात्मक शिक्षार्थियों के मामले में।
2. अचानक बीमारी के मामले में परीक्षाओं लिखने में असमर्थ शिक्षार्थी प्रतिपादन। इस बीमारी को विधिवत सरकार / नगर अस्पताल / औषधालय की एक सहायक सर्जन से कम रैंक के एक चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए।
3. लिखने में असमर्थ शिक्षार्थी प्रतिपादन चोट शामिल दुर्घटना के मामले में, दुर्घटना और लिखने के लिए सीखने की अक्षमता की प्रकृति नहीं सरकार / नगर अस्पताल या डिस्पेंसरी की एक सहायक सर्जन से कम रैंक के एक औसत दर्जे का अधिकारी द्वारा विधिवत प्रमाणित किया जाना चाहिए। [9,10]

समावेशित शिक्षा के अन्तर्गत निम्नलिखित गतिविधियों का आयोजन किया जाता है :-

1. **संदर्भ कक्ष की स्थापना :-** समग्र शिक्षा के समावेशित शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत सामान्य विद्यालयों में अध्ययनरत विशेष आवश्यकता वाले बालक-बालिकाओं को शैक्षिक तकनीकी एवं शैक्षणिक संबलन प्रदान करने हेतु प्रत्येक ब्लॉक में एक कुल 301 संदर्भ कक्षों की स्थापना की गई है। सन्दर्भ कक्ष पर विभिन्न आधुनिक उपकरण उपलब्ध है। विशेष आवश्यकता वाले बालक बालिकाओ को संबलन हेतु सन्दर्भ कक्षों पर आने हेतु यात्रा भत्ता दिया जाता है। संदर्भ कक्ष पर विशेष शिक्षा में प्रशिक्षित शिक्षक कार्यरत है, जो एन बालक – बालिकाओ को प्रशिक्षित करने का कार्य करते है।

2. **ब्रेल पुस्तकों की व्यवस्था:-** राज्य के राजकीय विद्यालयों में कक्षा 1 से 12 में अध्ययनरत पूर्ण दृष्टि बाधित बालक-बालिकाओं को राज्य में संचालित पाठ्य पुस्तकों को ब्रेललिपि में परिवर्तित कर उपलब्ध कराया जाता है। पूर्ण दृष्टि बाधित बालक-बालिकाएँ ब्रेल पुस्तकों के सहयोग से अध्ययन करते हैं।
3. **लार्ज प्रिन्ट पुस्तकों की व्यवस्था:-** राज्य के राजकीय विद्यालयों में कक्षा 1 से 12 में अध्ययनरत अल्प दृष्टिबाधित बालक-बालिकाओं को राज्य में संचालित पाठ्य पुस्तकों को लार्ज प्रिन्ट बुक्स में परिवर्तित कर उपलब्ध कराया जाता है। अल्प दृष्टिबाधित बालक-बालिकाएँ लार्ज प्रिन्ट पुस्तकों के सहयोग से अध्ययन करते हैं। [21,22]
4. **असेसमेन्ट कैम्प का आयोजन :-** समग्र शिक्षा एवम् भारतीय कृत्रिम उपकरण निर्माण संस्थान, कानपुर / मोहाली (एलिम्को) के संयुक्त तत्वाधान में विशेष आवश्यकता वाले बालक-बालिकाओं हेतु ब्लॉक/जिला मुख्यालय पर असेसमेन्ट कैम्प का आयोजन किया जाता है। जिसमें अंग-उपकरण वितरण हेतु पात्र बालक-बालिकाओं का चयन किया जाता है। उक्त कैम्प में विशेषज्ञों की टीम यथा फिजियो थेरेपिस्ट, स्पीच थेरेपिस्ट, आई स्पेशलिस्ट, ईएनटी स्पेशलिस्ट, अस्थि रोग विशेषज्ञ के दल के द्वारा बालक-बालिका का असेसमेन्ट किया जाता है। असेसमेन्ट कैम्प में विकलांगता प्रमाण-पत्र एवं रेल व बस पास तैयार किया जाता है साथ ही सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की योजनाओं से लाभान्वित किया जाता है।
5. **अंग-उपकरण वितरण :-** समग्र शिक्षा द्वारा असेसमेन्ट कैम्प में एलिम्को कानपुर के तकनीकी दल द्वारा चयनित विशेष आवश्यकता वाले बालक-बालिका को आवश्यकतानुसार अंग व उपकरण यथा ट्राईसाइकिल, व्हील चेयर, केलीपर्स, श्रवण यंत्र, बैसाखी, ब्रेलकेन, मोबाइल, डेज़ी प्लेयर आदि निःशुल्क उपलब्ध करवाये जाते हैं।
6. **परिवहन भत्ता :-** राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत अस्थिदोष, दृष्टिदोष, मानसिक विमण्डित, श्रवण बाधित एवं सेरेब्रल पाल्सी तथा ऑटिज्म श्रेणी के 40 प्रतिशत या इससे अधिक दोष से ग्रसित बालक-बालिकाएँ जिन्हें सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा विकलांगता प्रमाण पत्र जारी किया गया है उन्हें परिवहन भत्ता दिया जाता है। परिवहन भत्ते के रूप में 400 प्रति माह कि दर से 10 माह हेतु इन बालक बालिकाओं को राशि उपलब्ध कराया जाता है।
7. **एस्कॉर्ट भत्ता :-** राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत अस्थिदोष, दृष्टिदोष, मानसिक विमण्डित, श्रवण बाधित एवं सेरेब्रल पाल्सी तथा ऑटिज्म श्रेणी के 40 प्रतिशत या इससे अधिक दोष से ग्रसित बालक-बालिकाएँ जो विद्यालय से घर तक अकेले (बिना किसी व्यक्ति की सहायता से) पहुँच पाने में असमर्थ हैं, अर्थात् इन्हें घर से विद्यालय एवं विद्यालय से घर तक इनके अभिभावक द्वारा ही लाया ले जाया जाता है तथा जिन्हें सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा विकलांगता प्रमाण पत्र जारी किया गया है। इन बच्चों के अभिभावकों को एस्कॉर्ट भत्ता उपलब्ध करवाया जाता है। एस्कॉर्ट भत्ते के रूप में 400 प्रति माह कि दर से 10 माह हेतु इन बालक बालिकाओं के अभिभावक को राशि उपलब्ध कराया जाता है।
8. **रीडर भत्ता (Reader Allowance) :-** राज्य के राजकीय विद्यालय में अध्ययनरत कक्षा- 1 से 12 तक के दृष्टिबाधित बालक-बालिकाओं को रीडर भत्ता जिन्हें सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा दिव्यांग प्रमाण पत्र जारी किया गया है। उन्हें रीडर भत्ता (Reader Allowance) दिया जाता है। रीडर भत्ते के रूप में 250 प्रति माह कि दर से 10 माह हेतु इन बालक बालिकाओं को राशि उपलब्ध कराया जाता है।
9. **स्टाईपेन्ड भत्ता (Stipend for Girls) :-** राज्य के राजकीय विद्यालय में अध्ययनरत विशेष आवश्यकता वाली बालिकाओं हेतु स्टायपेन्ड भत्ता (Stipend for Girls) जिन्हें सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा दिव्यांग प्रमाण पत्र जारी किया गया है। उन्हें स्टायपेन्ड भत्ता (Stipend for Girls) दिया जाता है। स्टायपेन्ड भत्ता के रूप में 200 प्रति माह कि दर से 10 माह हेतु इन बालिकाओं को राशि उपलब्ध कराया जाता है।
10. **करैक्शन सर्जरी:-** 6-14 आयु वर्ग के पोलियो, सेरेब्रल पाल्सी इत्यादि से प्रभावित बच्चों का करैक्शन सर्जरी करवायी जाती है।
11. **साईट रेस्टोरेशन सर्जरी :-** राज्य के 6-14 आयु वर्ग के दृष्टि दोष से प्रभावित बालक-बालिकाओं की लो-विजन असेसमेन्ट, लो-विजन डिवाइसेस वितरण एवं साईट रेस्टोरेशन सर्जरी की जाती है।
12. **कॉकलियर इंप्लान्ट :-** चिकित्सा विभाग के सहयोग से 0 से 6 आयु वर्ग के श्रवणबाधित बच्चों की कॉकलियर इंप्लान्ट की सर्जरी करवायी जायेगी। ताकि वह सामान्य बच्चों की श्रेणी में आ सके।
13. **पुनर्वास विशेषज्ञों की व्यवस्था :-** राज्य के चिह्नित विशेष आवश्यकता वाले बालक-बालिकाओं में दोष की तीव्रता कम करने तथा उनकी अधिशेष क्षमताओं के अभिवर्द्धन हेतु संदर्भ कक्षाओं पर विभिन्न पुनर्वास विशेषज्ञ यथा फीजियोथेरेपिस्ट, स्पीचथेरेपिस्ट, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट आदि की सेवाएँ विजिटिंग/मानदेय आधार पर लिया जाता है। [19,20]

14. **विशेष आवश्यकता वाले बालक-बालिकाओं के अभिभावकों हेतु परामर्शदात्री कार्यक्रम का आयोजन:-** राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में विकलांगता के क्षेत्र में सेवाओं की अनुपलब्धता एवं जानकारी के अभाव में गंभीर दोष से ग्रसित बालक-बालिकाओं के माता-पिता अपेक्षित सम्बलन सेवाएं उपलब्ध करवाने में असफल रहते हैं। अभिभावकों को इस स्थिति से उबारने एवं बच्चों को उचित सुविधाएं उपलब्ध करवाते हुये उन्हें शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ने के उद्देश्य से समावेशित शिक्षा कार्यक्रम के तहत इन बच्चों के अभिभावकों के लिए परामर्शदात्री कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है।
15. **वातावरण निर्माण कार्य का आयोजन :-** विशेष आवश्यकता वाले बालक-बालिकाओं के प्रति जागरूकता, इनके प्रति कर्तव्यों दायित्वों तथा इनके अधिकारों के संबंध में जानकारी हेतु जिला मुख्यालय पर 2 - 3 दिसम्बर को वातावरण निर्माण कार्य (विश्व विकलांग दिवस) का आयोजन किया जाता है।
16. **प्रधानाचार्या शैक्षिक प्रशासकों अभिभावकों हेतु एक दिवसीय आमुखीकरण :-** राज्य के कक्षा 1 से 12 तक राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत विशेष आवश्यकता वाले बालक-बालिकाओं को प्रभावी तकनीकी एवं शैक्षणिक संबलन प्रदान करने हेतु संदर्भ कक्ष वाले संस्था प्रधानों का एक दिवसीय आमुखीकरण प्रशिक्षण का आयोजन किया जाता है।
17. **विशेष आवश्यकता वाले बालक-बालिकाओं हेतु प्रशिक्षण :-**
 - **लैपटॉप, मोबाइल फोन एवं डेजी प्लेयर पर प्रशिक्षण :-** राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत पूर्ण दृष्टिबाधित बालक-बालिकाओं को लैपटॉप डेटा कार्ड, हैडफोन एवं NVDA (Screen Reader Software) उपलब्ध करवाये गये जाते हैं। साथ राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत पूर्ण दृष्टिबाधित बालक-बालिकाओं को मोबाइल फोन एवम डेजी प्लेयर उपलब्ध कराये जाते हैं साथ ही लैपटॉप, मोबाइल एवम डेजी प्लेयर पर प्रशिक्षण दिया जाता है।
 - **Self defence training :-** पूर्ण दृष्टिबाधित एवम क्षवण बाधित बालिकाओं को आत्म निर्भर करने के उद्देश्य से 50 – 50 बालिकाओं को जयपुर में self defence का प्रशिक्षण दिया जा रहा है।[11,12]
18. **विशेष आवश्यकता वाले बालक-बालिकाओं हेतु खेल :-** कूद एवम शैक्षिक भ्रमण :- विशेष आवश्यकता वाले बालक-बालिकाओं जिला स्तर पर खेल - कूद का आयोजन किया जाता है एवम एन बालक – बालिकाओं को विभिन्न अंतर जिला शैक्षिक भ्रमण कराया जाता है।[17,18]

निष्कर्ष

1. लिपिकार विकलांगता परीक्षा लेने के साथ सीखने की तुलना में कम एक वर्ग के एक छात्र हो सकता है।
2. लिपिकार परीक्षार्थी के लिए संबंधित नहीं किया जा चाहिए।
3. केन्द्र अधीक्षक मैं पर ऊपर) और द्वितीय) को सुनिश्चित करने और इस आशय का एक प्रमाण पत्र प्राप्त करेंगे।
4. परीक्षा चिंतित केंद्र के केन्द्र अधीक्षक स्कूल से जहां तक संभव हो एक उपयुक्त व्यक्ति का चयन और आगे उसकी / उसके संबंधित क्षेत्रीय निदेशक / निदेशक रिपोर्ट के साथ सीखने का पूरा विवरण दे एनआईओएस (Eval.) के तुरंत नाम विचार और अनुमोदन के लिए लिपिकार.
5. लिपिकार की सेवा सिद्धांत केवल कागज के लिए उठाया जा सकता है।

परिणाम बताते हैं कि विक्टोरियन स्कूलों में शिक्षक आम तौर पर विकलांग छात्रों को मुख्यधारा में शामिल करने के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हैं। ये सकारात्मक विचार उत्तरदाताओं के बीच विकलांग छात्रों के बारे में जागरूकता में वृद्धि के कारण हो सकते हैं, संभवतः शिक्षा विभाग, विक्टोरिया द्वारा समावेशी शिक्षकों के रूप में उनकी भूमिकाओं के बारे में शिक्षण कर्मियों को शिक्षित करने के नए प्रयासों के कारण।[15,16]

यह स्पष्ट है कि विकलांग छात्रों को नियमित कक्षाओं में शामिल करने को समावेशी सेटिंग के भीतर सभी प्रतिभागियों के बीच सहिष्णुता और सम्मान की बढ़ती भावनाओं के पोषण के रूप में देखा जाता है। हालाँकि, एक छात्र की विकलांगता का स्तर विकलांग छात्रों को शामिल करने के लिए शिक्षकों के दृष्टिकोण को आकार देने वाले कारक के रूप में उभर सकता है। उत्तरदाताओं ने विकलांग छात्रों को मुख्यधारा की कक्षाओं में शामिल करने के अपने प्रयासों में अधिक जानकारी, ज्ञान और विशेषज्ञता की आवश्यकता की अभिव्यक्ति में भी मजबूत थे।

जिन उत्तरदाताओं के परिवार के सदस्य विकलांग थे, और जिन्होंने विकलांग लोगों के साथ मिलकर काम किया था, जब विकलांग छात्रों को नियमित कक्षा में शामिल करने की बात आई, तो उनमें जागरूकता बढ़ गई। इसके अलावा, प्रतिभागियों की प्रतिक्रियाओं से पता चला कि विकलांग छात्रों को नियमित सेटिंग्स में शामिल करने का पिछला अनुभव शिक्षकों को शामिल करने के लिए बेहतर ढंग से तैयार करता प्रतीत होता है। इन विचारों को ध्यान में रखते हुए, प्रशिक्षु शिक्षकों को समावेशी शिक्षकों के रूप में उनकी भूमिकाओं के लिए तैयार करने के लिए शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में समावेशी सेटिंग्स के भीतर शिक्षण पर एक अनिवार्य खंड शामिल करना विवेकपूर्ण प्रतीत होगा।

इस अध्ययन के निष्कर्षों की व्याख्या निम्नलिखित सीमाओं के आलोक में की जानी चाहिए। निष्कर्ष मुख्यतः मुख्यधारा के शिक्षकों की स्वयं-रिपोर्टों पर आधारित थे; इस बात पर हमेशा कुछ संदेह रहेगा कि क्या शिक्षकों की प्रतिक्रियाएँ विकलांग छात्रों को मुख्यधारा की सेटिंग में शामिल करने के संबंध में उनके सच्चे दृष्टिकोण और चिंताओं को दर्शाती हैं। इसलिए प्रतिक्रियाओं की व्याख्या सावधानी से की जानी चाहिए। इस अध्ययन में केवल विकलांग छात्रों को उनकी कक्षाओं में शामिल करने के संबंध में मुख्यधारा के शिक्षकों के दृष्टिकोण और चिंताओं से संबंधित सीमित संख्या में चर की जांच की गई। ऐसे दृष्टिकोण और चिंताओं का पता लगाते समय निस्संदेह अन्य चर भी हैं जिन पर विचार किया जाना चाहिए। स्कूली संस्कृति, भाषा, सहित प्रणालीगत समर्थन से संबंधित कारकों का प्रभाव और भौगोलिक स्थिति पर विचार नहीं किया गया है। भविष्य की जांच में शिक्षकों के रवैये और समावेशी शिक्षा के बारे में चिंता पर इन चरों के प्रभाव पर विचार किया जा सकता है।^[13,14]

प्रतिक्रिया दें संदर्भ

- 1) एग्रान, एम., अल्पर, एस., और वेहमेयर, एम. (2002)। महत्वपूर्ण विकलांगता वाले छात्रों के लिए सामान्य पाठ्यक्रम तक पहुंच: शिक्षकों के लिए इसका क्या अर्थ है। मानसिक मंदता और विकासात्मक विकलांगताओं में शिक्षा और प्रशिक्षण, 37 (2), 123-133।
- 2) ऑसस्टैट्स। (2002)। ऑस्ट्रेलियाई सामाजिक रुझान। ऑस्ट्रेलियाई सांख्यिकी ब्यूरो (सं.) में। मेलबर्न।
- 3) अविसार, जी. (2000)। समावेशन के बारे में सामान्य शिक्षा शिक्षकों के विचार: एक अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य। आईएसईसी सम्मेलन, लंदन में प्रस्तुत किया गया पेपर।
- 4) अव्रामिडिस, ई., बेलिस, पी., और बर्डन, आर. (2000)। एक स्थानीय शिक्षा प्राधिकरण में सामान्य स्कूल में विशेष शैक्षिक आवश्यकताओं वाले बच्चों को शामिल करने के प्रति मुख्यधारा के शिक्षकों के दृष्टिकोण का एक सर्वेक्षण। शैक्षिक मनोविज्ञान, 20 (2), 191-121.
- 5) अज़्जेन, आई. (1991)। नियोजित व्यवहार का सिद्धांत. संगठनात्मक व्यवहार और मानव निर्णय प्रक्रियाएँ, 50 , 179-211।
- 6) अज़्जेन, आई., और फिशबीन, एम. (1977)। मनोवृत्ति-व्यवहार संबंध: एक सैद्धांतिक विश्लेषण और अनुभवजन्य अनुसंधान की समीक्षा। मनोवैज्ञानिक बुलेटिन, 84 , 888-918.
- 7) बब्बी, ई. (1990)। सर्वेक्षण अनुसंधान के तरीके . बेलमोंट: वड्सवर्थ पब्लिशिंग कंपनी।
- 8) बार्नट, एसएन, और कब्जेम्स, वी. (1992)। जिम्बाब्वे के शिक्षकों का नियमित कक्षाओं में विकलांग विद्यार्थियों के एकीकरण के प्रति दृष्टिकोण। विकलांगता, विकास और शिक्षा के अंतर्राष्ट्रीय जर्नल, 39 (2), 135-146।
- 9) बीट्टी, जेआर, एंडरसन, आरजे, और एंटोनक, आरएफ (1997)। विकलांग छात्रों के प्रति भावी शिक्षकों के दृष्टिकोण को संशोधित करना और नियमित कक्षाओं में उनका एकीकरण करना। द जर्नल ऑफ साइकोलॉजी, 131 (3), 245-259।
- 10) बेंडर, डब्ल्यूएन, वेल, सीओ, और स्कॉट, के. (1995)। मुख्यधारा में वृद्धि के प्रति शिक्षकों का दृष्टिकोण: सीखने की अक्षमता वाले छात्रों के लिए प्रभावी निर्देश लागू करना। जर्नल ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटीज़, 28 (2), 87-94।
- 11) बर्नार्ड, एमई (1990)। शिक्षण से तनाव दूर करना। मेलबर्न: कोलिन्स डोव।
- 12) बेस्ट, जेडब्ल्यू, और कहन, जेवी (1989)। शिक्षा में अनुसंधान (छठा संस्करण)। न्यू जर्सी: अप्रेंटिस हॉल।
- 13) बेस्ट, जेडब्ल्यू, और कहन, जेवी (1993)। शिक्षा में अनुसंधान (सातवां संस्करण)। न्यू जर्सी: अप्रेंटिस हॉल।
- 14) बेस्ट, जेडब्ल्यू, और काह्न, जेवी (1998)। शिक्षा में अनुसंधान (8वां संस्करण)। नीधम हाइट्स: एलिन और बेकन।
- 15) बोगदान, आरसी, और बिकलेन, एसआर (1992)। शिक्षा के लिए गुणात्मक अनुसंधान (द्वितीय संस्करण संस्करण)। बोस्टन: एलिन और बेकन।
- 16) ब्रैडशॉ, के. (1998)। व्यवहार संबंधी विकार वाले बच्चों का एकीकरण। ऑस्ट्रेलेशियन जर्नल ऑफ स्पेशल एजुकेशन, 21 (2), 115-123।
- 17) ब्रिग्स, जेडी, जॉनसन, वीई, शेफर्ड, डीएल, और सेडब्रुक, एसआर (2002)। विकलांगताओं के संबंध में शिक्षक का दृष्टिकोण और गुण। अकादमिक एक्सचेंज त्रैमासिक, 6 (2), 85-89।
- 18) कैट, एच. (1994)। समावेशी शिक्षा। अलबर्टा अनुभव. प्रैक्टिसिंग एडमिनिस्ट्रेटर, 16 (3), 38-41।



- 19) कावले, जे., हेडन, एस., केड, ई., और बेकर-क्रोजिंस्की, एस. (2002)। सामान्य शिक्षा विज्ञान कक्षा में विकलांग छात्रों को शामिल करना। असाधारण बच्चे, 68 (4), 423-435।
- 20) क्लेटन, एम. (1996)। समावेशन का रास्ता साफ़ करना: थोर्ले, हॉटचकिस और मार्टिन के लिए एक प्रतिक्रिया। विशेष शिक्षा परिप्रेक्ष्य, 5 (2), 39-44.
- 21) कोल, आरके, और चैपमैन, आर. (2000)। गुणात्मक या मात्रात्मक? सहकारी शिक्षा शोधकर्ताओं के लिए कार्यप्रणाली के विकल्प। जर्नल ऑफ़ कोऑपरेटिव एजुकेशन., 35 (1), 25-35.
- 22) कुक, बीजी, सेमेल, एमआई, और गेरबर्, एमएम (1999)। हल्की विकलांगता वाले छात्रों को शामिल करने के प्रति प्रधानाध्यापकों और विशेष शिक्षा शिक्षकों का रवैया: राय में गंभीर मतभेद। उपचारात्मक एवं विशेष शिक्षा., 20 (4), 199-208.
- 23) कॉर्नोल्डी, सी., टेरेनी, ए., स्क्रुम्स, टीई, और मास्ट्रोपिएरी, एमए (1998)। समावेशन के बीस वर्षों के बाद इटली में शिक्षकों का रवैया। उपचारात्मक एवं विशेष शिक्षा., 19 (6), 350-356.
- 24) क्रॉल, पी., और मूसा, डी. (2000)। विचारधाराएं और स्वप्रलोक: समावेशन के बारे में शिक्षा पेशेवरों के विचार। यूरोपियन जर्नल ऑफ़ स्पेशल नीड्स एजुकेशन, 15 (1), 1-12।
- 25) डेन, सीजे, बीरने-स्मिथ, एम., और लैथम, डी. (2000)। प्राथमिक ग्रेड में समावेशन के सहयोगात्मक प्रयासों के बारे में प्रशासकों और शिक्षकों की धारणाएँ। शिक्षा, 121 (2), 331-338.
- 26) शिक्षा और प्रशिक्षण विभाग विक्टोरिया। (2003ए)। [www.sofweb.vic.gov.edu.au]। वर्ल्ड वाइड वेब से लिया गया
- 27) शिक्षा और प्रशिक्षण विभाग विक्टोरिया। (2003बी)। सरकारी स्कूलों के लिए ब्लूप्रिंट [वेबसाइट]। 18 मार्च 2004 को वर्ल्ड वाइड वेब से पुनःप्राप्त: www.deet.vic.gov.au/deet/resources/blueprint.htm